न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 128/23 (वाद)
GCMS No. : 2023/365

1. श्री चन्दनसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी वाड़ावावडी (कुरडा)
2. प्रताप सिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी वाड़ावावडी (कुरडा) तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री ओमप्रकाश डागलीया, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राजपेरोकार तहसीलदार मावली, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 08.04.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव वाड़ा वावड़ी तहसील मावली पटवार सर्कल नामरी जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 217, 349, 380 किता 3 वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त गांव वाड़ावावड़ी तहसील मावली अंकित है। यह कि उक्त वर्णित आराजीयात में से आराजी न0 217 रकबा पांच बीघा चार बिस्वा भूमि में से चार बीघा भूमि एवं आराजी न0 349 एक बीघा नो बिस्वा संम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 380 रकबा एक बीघा संम्पूर्ण भूमि पर हम वादीगण का कब्जा हमारे पिता/दादा देवीसिंह पिता लालसिंहजी के जीवनकाल से गत 50 से अधिक वर्षो से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है और उक्त भूमि जो पूर्व में मगरी व बंजड़ थी को लाखो रूपयो की लागत लगाकर उपजाउ बनाई और प्रतिवर्ष एक फसली मक्का, चवला, उड़द, व साग सब्जी की फसल बोते है और वर्तमान में भी परिवार सहित श्रम कर उक्त भूमि को लगातार उपजाउ बना रहे है। मुझ वादीगण के पिता ने उक्त कब्जेसुदा भूमि को लाखो रूपयो की लागत लगाकर एवं परिवार सहित श्रम कर काबिल काश्त बनाई और प्रतिवर्ष फसल बो व काट रहे थे और मेरे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:12 IST
Reason: SelfAttested

पिताजी का स्वर्गवास दिंनाक 24 जनवरी 1997 को हो जाने पर हम वादीगण उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित भूमि खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त संवत 2037 से पूर्व मे हम वादीगण के पिता/दादा के नाम पर एवं इसके बाद वर्तमान मे हमारे नाम पर हमारे पिता/दादा देवीसिंह पिता लालसिंहजी की मृत्यु हो जाने से हम वादीगण के नाम पर अंकित है । उक्त वर्णित भूमि पर हम वादीगण अपने पिता/दादा के समय से गत 50 से अधिक वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है । इसलिए उक्त वर्णित आराजीयात को अपने नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित फरमा स्वतन्त्र रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकन करवाने के अधिकारी है एवं अलग से लगान जारी करवाने के अधिकारी है।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात को मुझ वादीगण ने अपने नाम पर खातेदार काश्तकार की हैशियत से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के लिए कई बार राजस्व अधिकारियों व पटवार हल्का जावड को निवेदन किया परन्तु अभी तक उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे बिलानाम गैरकाबिल काश्त के रूप में अंकित है जिस पर हम वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या एक व दो राजस्थान राज्य जरिए जिला कलेक्टर महोदय उदयपुर एवं राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब मावली को एक पंजीकृत सूचना पत्र दिंनाक 19–1–2011 को अपने अधिवक्ता के द्वारा दिलवाकर उक्त वर्णित अनुसार हमारे नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप मे राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के लिए निवेदन किया परन्तु नोटिस की अवधि दो माह व्यतित हो जाने पर भी कोई कार्यवाही नही होने से विवश होकर वादपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। हम गरीब काश्तकार है और हमारे पास कोई भूमि नहीं है मात्र संयुक्त खातेदारी की डेढ दो बीघा जमीन है और उक्त कलम संख्या दो मे वर्णित भूमि की आय ही हमारी आजीविका का एकमात्र सहारा है और उक्त भूमि पर भी एक फसली फसल होती है और उक्त भूमि की आय से ही हम परिवारजनो का पालन पोषण हो रहा है और आय का अन्य कोई साधन नही है

4. यह कि वादीगण को प्रतिवादीगणगण के विरूद्ध वाद कारण अंतिम बार दिंनाक 19–4–11 को उत्पन्न हुआ जब हम वादीगण ने बार बार राजस्व अधिकारियों को निवेदन करने पर भी उक्त भूमि को हमारे नाम पर राजस्व रिकार्ड मे खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन करने को कहा परन्तु उन्होने मना कर दिया जिस पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:12 IST
Reason: SelfAttested

हम वादीगण ने अपने अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो को नोटिस दिलाया और नोटिस की अवधि दो माह के भीतर भी कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरतंर जारी है ।

5. अंत में निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि आराजी न0 217 रकबा पांच बीघा चार बिस्वा मे से चार बीघा भूमि एवं आराजी न० 349 एक बीघा नो बिस्वा संम्पूर्ण एवं आराजी नम्बर 380 एक बीघा संम्पूर्ण को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं खेवट खतौनी में हम वादीगण का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित फरमा स्वतन्त्र रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे हमारे नाम पर अंकित फरमाई जावे और इसी अनुसार अलग से लगान जारी फरमाया जावे ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राजपेरोकार मावली द्वारा वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

   1. आया मौजा वाड़ा वावड़ी पटवार मण्डल जावड़ की आराजी नम्बर 217, 349, 380 किता 3 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। जिस पर वादीगण के दादा/पिता पिछले 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस कारण ही वादीगण उक्त आराजीयात अपने नाम पर घोषणा कराने के अधिकारी है। .... जिम्मे वादीगण

   2. आया वादीगण द्वारा खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त पी–14 पेश की है। इसके आधार पर नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 में '' बिलानाम गैर काबिल काश्त'' गलत दर्ज किया है जो कि क्या निरस्तनीय है।

      .... जिम्मे प्रतिवादीगण

7. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 श्री प्रतापसिंह पिता मोहब्बतसिंह, गवाह पी.डब्ल्यू. 2 श्री भैरूसिंह पिता तखतसिंह राजपूत, गवाह पी.डब्ल्यू. 3 श्री उदयसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत, गवाह पी.डब्ल्यू. 4 श्री करणसिंह पिता तखतसिंह राजपूत, गवाह पी.डब्ल्यू. 5 श्री दलपत सिंह पिता तखतसिंह राजपूत, गवाह पी.डब्ल्यू. 6 हीरसिंह पिता रोड़सिंह राजपूत के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू. 3 श्री उदयसिंह पिता गुमानसिंह राजपूत फौत हो जाने से जिरह नही करवाई गई। शेष गवाहान की जिरह सम्पन्न करवाई गई। गवाह वादी संख्या 2 द्वारा दस्तावेजात प्रदर्श करवाए गए एवं राजपैरोकार से जिरह सम्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:12 IST
Reason: SelfAttested

करवाई। प्रतिवादी की और से साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करना चाहा। अधिवक्ता वादीगण एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा प्रतिकुल कब्जे के आधार पर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. आया मौजा वाड़ा वावड़ी पटवार मण्डल जावड़ की आराजी नम्बर 217, 349, 380 किता 3 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि राजस्व रेकॉर्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज है। जिस पर वादीगण के दादा/पिता पिछले 50 वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहे है। इस कारण ही वादीगण उक्त आराजीयात अपने नाम पर घोषणा कराने के अधिकारी है।

   उक्त तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित कराने के लिए स्वतंत्र गवाहो के बयान लेखबद्ध करवाए गए। वादीगण द्वारा पेनल्टी की रसीद प्रस्तुत कर मौके पर अपना कब्जा साबित करवाने का प्रयास किया है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाना चाह रहे है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा देने का कोई प्रावधान नही है। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

2. आया वादीगण द्वारा खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त पी–14 पेश की है। इसके आधार पर नकल जमाबन्दी सम्वत 2066–69 में '' बिलानाम गैर काबिल काश्त'' गलत दर्ज किया है जो कि क्या निरस्तनीय है।

   उक्त तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण द्वारा तनकी को साबित करवाने हेतु साक्ष्य प्रस्तुत नही किए, अर्थात प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित करवाने का प्रयास ही नही किया। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध साबित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:12 IST
Reason: SelfAttested

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा वाडा वावडी पटवार हल्का जावड तह. मावली हाल घासा के खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 217, 349, 380 किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हैं। वादीगण अपने वाद के माध्यम से 50 वर्षो से निर्बाध कब्जा बताकर प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते हैं। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं।** उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। आवंटन/नियमन के लिए वादीगण आवंटन कमेटी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:12 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री चन्दनसिंह पिता प्रतापसिंह राजपूत निवासी वाड़ावावडी (कुरडा)
2. प्रताप सिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी वाड़ावावडी (कुरडा) तहसील मावली जिला उदयपुर।

............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 128/23 (वाद) GCMS No. : 2023/365

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 08.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 12:05:12 IST
Reason: SelfAttested